(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2417–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 15–07–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगंवा जिला रीवा प्रकरण कमांक 08/अ–2/2012–13 अपील.

सत्यनारायण उपाध्याय तनय लखनलाल उपाध्याय,
निवासी मर्जादपुर, तह0 मनगंवा, जिला रीवा

––– आवेदक

विरूध्द

लखनलाल तनय परमेश्वरदीन
निवासी मर्जादपुर, तह0 मनगंवा, जिला रीवा

–– अनावेदक

श्री अशोक तिवारी, अभिभाषक – आवेदक
श्री राजीव लोचन सिंह, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 2/4. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 08/अ–2/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–05–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी क0 12 पर पारित आदेश दिनांक 26–06–90 के विरूध्द अनावेदक लखनलाल व्दारा अपील

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30–8–11 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–5–13 व्दारा विलम्ब सदभाविक होना मान्य किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक सत्यनारायण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण आदेश 26–6–90 के विरूध्द अपील 23 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतया समयावधि बाह्य है। अनावेदक व्दारा समयावधि विधान के आवेदनपत्र में 23 वर्ष के विलम्ब का कोई समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया। नामान्तरण पंजी में अनावेदक का निशानी अंगूठा लगा हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक ने दिनांक 26–6–90 को नामान्तरण पंजी क0–11 पर अपने पुत्रों रवीन्द्रकुमार व रामदास के पक्ष में नामान्तरण प्रमाणित करवाया है जिसके संबंध में अनावेदक व्दारा कोई आपत्ति या अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि व्यवहार न्यायालय सिरमौर के न्यायालय में अनावेदक व्दारा अपने जबाव के साथ खसरा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि का अंश रकबा बाणसागर नहर परियाजना में अधिग्रहित किया गया जिसका मुआवजा भी वर्ष 2006 में आवेदक को प्राप्त हुआ। मुआवजा भुगतान में भी अनावेदक व्दारा सहमति दी गयी है। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण आदेश की जानकारी पूर्व से अनावेदक को थी, किन्तु उसके व्दारा समयावधि में कोई आपत्ति या अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि राजस्व निरीक्षक को बटवारा करने की अधिकारिता नहीं है। राजस्व निरीक्षक व्दारा बटवारा कर नामान्तरण किया गया है जो अधिकारिता रहित है। उनका यह भी तर्क है कि

अनावेदक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है और उसे नामान्तरण की कोई सूचना नहीं होने से नामान्तरण की जानकारी पटवारी से प्राप्त होने पर बिना विलम्ब किये अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब को सदभाविक मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उन्होंने मेरा ध्यान एम0पी0 वीकली नोट 2002(1) नोट नं0 60 तथा एम0पी0वीक़ली नोट 1986(दो) नोट नं0 147 की ओर आकर्षिक कर निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ ग्राम ताराखुर्द की नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि क0 11 पर लखनलाल व्दारा किये गये आपसी हिस्साबांट के आधार पर लखनलाल के स्थान पर रवीन्द्रकुमार एवं रामनरेश का प्रमाणिकरण राजस्व निरीक्षक व्दारा 26–6–90 को किया गया है जिस पर लखनलाल का निशानी अंगूठा एवं रामसखाराम एवं भानूप्रताप के हस्ताक्षर हैं। प्रविष्टि कमांक 12 पर आपसी हिस्सा बाट के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 5.54 एकड़ पर सत्यनारायण का नामान्तरण लखनलाल के स्थान पर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 26–6–90 को किया है। राजस्व निरीक्षक ने प्रमाणिकरण आदेश में उल्लेख किया है कि भूमिस्वामी आपसी बांट से सहमत हैं। नामान्तरण पंजी में अनावेदक लखनलाल के निशानी अंगूठा भी लगा है। नामान्तरण पंजी में चस्पा इश्तहार की प्रति की पुष्ट पर भी लखनलाल के निशानी अंगूठा के अलावा अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी है। अनावेदक व्दारा प्रविष्टि क0–11 के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि दोनों ही प्रमाणिकरण एक ही दिनांक को राजस्व निरीक्षक व्दारा आपसी हिस्साबाट के आधार पर किये गये हैं।

6/ आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, सिरमौर जिला रीवा के व्यवहार प्रकरण में प्रतिवादी क0–1 रामलखन तनय परमेश्वरसिंह व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कागजात लिस्ट की

प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रश्नाधीन भूमि के खसरा पंचसाला वर्ष 2001 से 2007 की प्रमाणित प्रति पेश करने की तर्क की पुष्टि होती है। राजस्व निरीक्षक व्दारा आपसी हिस्साबांट के आधार पर भूमिस्वामी लखनलाल की सहमति के आधार पर नामान्तरण पंजी में नामान्तरण प्रमाणित किया गया है जिसे क्षेत्राधिकार रहित होना मान्य नहीं किया जा सकता। अनावेदक व्दारा नामान्तरण आदेश दिनांक 26–6–90 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30–8–2011 अर्थात 21 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य है। इतने अधिक विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है, जब विचारण न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार रहित या कपटपूर्ण पारित किया जाना सिध्द किया जाय। मैंने मान0 उच्च न्यायालय व्दारा एम0पी0 वीकली नोट 2002(1) नोट नं0 60 तथा एम0पी0वीकली नोट 1986(दो) नोट नं0 147 में दिये गये न्याय दृष्टान्तों का भी अवलोकन किया। धापूबाई विरूध्द यूनियन ऑफ इण्डिया (एम0पी0 वीकली नोट 2002(1) नोट नं0 60) में 2 माह के अधिक विलम्ब को मान. उच्च न्यायालय व्दारा आवेदकगण देहाती एवं निरक्षर ग्रामीण होने से माफ किया गया है। सुरेश सिंह विरूध्द दिनानाथ (एम0पी0वीकली नोट 1986(दो) नोट नं0 147) में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि समयावधि में प्राप्त नहीं होने से विलम्ब को अखण्डित शपथपत्र के आधार पर माफ किया गया है। इस प्रकरण के तथ्य उक्त न्याय दृष्टान्तों के अनुरूप नहीं है। अनावेदक के नामान्तरण पंजी एवं इश्तहार की प्रति में निशानी अंगूठा होने से यह नहीं माना जा सकता कि नामान्तरण आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं थी और दूसरे अपील 2–4 माह विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गयी है, बल्कि 21 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गयी है और इस 21 वर्ष के विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण अनावेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी हल्का व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 4–7–13, जिसके साथ उन्होंने पंचनामा दिनांक 3–7–13 भी प्रस्तुत किया गया है, में यह

उल्लेख किया है कि पुत्रों का बटवारा होने के बाद 1990 से प्रश्नाधीन भूमि पर सत्यनारायण व्दारा काश्त की जाती थी। वर्ष 2003 से उपरोक्त भूमियॉ सत्यनारायण व्दरा भीमसेन बढ़ई व जीतेन्द्रसिंह के यहॉ गहन कर दी गयी है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश करते समय इस पर कोई विचार नहीं किया। संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार जिस पक्षकार के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी है और उसे आदेश दिनांक की कोई सूचना नहीं हों तभी समयावधि की गणना आदेश की संसूचना के दिनांक से किये जाने का प्रावधान है। अनावेदक को नामान्तरण पंजी में पारित आदेश की संसूचना उसके नामान्तरण पंजी में निशानी अंगूठे से स्पष्ट है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा समयावधि की गणना आदेश की जानकारी से दिनांक से करना विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनाक 15–05–13 निरस्त किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0